आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– अधिग्रहरण वाद 04/2015–16 राज्य वनाम् नवीन कुमार एवं अन्य

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 19.09.2017 | *आदेश*<br>यह आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिग्रहण वाद सं0 04/2015–16 अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन पत्रांक 2011 दिनांक 03.11.2015 के आलोक में प्रारंभ किया गया है।<br>अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता के पत्रांक 184 दिनांक 28.10.2015 के द्वारा पसराहा थाना कांड संख्या 133/2015 दिनांक 15.10.201 को धारा 7 ई0सी0 के तहत् जप्त कर पसराहा थाना में रखे गये 30 बोरा गेहूँ (लगभग 50 किलो ग्राम प्रति बोरा) अधिग्रहण करने का अनुशंसा किया गया है।<br>अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि जप्त गेहूँ के बारे में बैलगाड़ी चालक गुदर मिस्त्री, पे0 स्व0 कारे मिस्त्री, साकिन तेहाय, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया द्वारा बताया गया कि 30 बोरा गेहूँ (वजन लगभग 50 किलो प्रत्येक बोरा) डीलर नवीन शर्मा पे0 जनार्दन शर्मा साकिन–तेहाय का है जिसे व्यापारी कातो शर्मा पे0 स्व0 सुरेश शर्मा साकिन–तेहाय के पास कालाबाजारी हेतु ले जा रहा था, जिसे पसराहा थाना पुलिस द्वारा जप्त कर थाना ले जाया गया। तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा दिनांक 15.10.2015 को श्री नवीन शर्मा पे0–जनार्दन शर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, साकिन तेहाय, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया के विरूद्ध कालाबजारी के आरोप में पसराहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।<br>उक्त के आलोक में अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा विपक्षी को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत की गयी कि क्यों नहीं उक्त के आलोक में 30 बोरा गेहूँ (50 किलो प्रति बोरा) सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया जाए। जप्ती की अवस्था में उक्त गेहूँ खराब/बर्बाद हो सकता था। इसलिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता को आदेश दिया गया कि जप्त गेहूँ को खुले बाजार में निलाम करें एवं उससे प्राप्त राशि प्रखंड नजारत परबत्ता में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें।<br>पक्षकार लगातार नोटिस के बावजूद अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराया गया कि वाद में पक्षकारों की अनुपस्थित रहने के कारण वाद लंवित चला आ रहा है, इसलिए संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखें, अन्यथा बाध्य होकर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर अंतिम आदेश पारित कर दिया जायेगा। लेकिन इसके बावजद भी पक्षकार | |

3/

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि पकड़े गये 30 बोरा गेहूँ (50 किलो प्रति बोरा) कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था तथा प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से कुछ नहीं कहा गया है या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त जप्त गेहूँ अधिग्रहण योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि कि बैलगाड़ी चालक गुदर मिस्त्री, पि० स्व० कारे मिस्त्री साकिन तेहाय, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया द्वारा 30 बोरा गेहूँ (वजन लगभग 50 किलो प्रत्येक बोरा) व्यापारी कातो शर्मा पे० स्व० सुरेश शर्मा, साकिन–तेहाय के पास ले जाया जा रहा था, वह जनवितरण प्रणाली बिक्रेता नवीन शर्मा साकिन–तेहाय के दुकान से कालाबजारी हेतु ले जाया जा रहा था। अतः उक्त जप्त गेहूँ अधिग्रहण योग्य है। अतः जप्त गेहूँ को अधिग्रहित किया जाता है। चूँकि मामला न्यायालय में चल रहा है, अतएव इस स्तर पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

जप्त गेहूँ को खुले बाजार में नीलामी से प्राप्त राशि को प्रखंड नजारत, परबत्ता में जमा करने संबंधी प्रतिवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता से अप्राप्त है। इसलिए आदेश दिया जात है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा 30 बोरा गेहूँ की खुले बाजार में निलामी से प्राप्त राशि प्रखंड नजारत, परबत्ता में जमा कराने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेखबद्ध करें तथा संबंधित प्रतिवेदन संबंधित न्यायालय को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, 18/10/17
खगड़िया।

समाहर्त्ता, 18/10/17
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 375 / विधि दिनांक 18-10-2017
प्रतिलिपि :- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी परबत्ता / अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10
प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया
18/10/17